FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

दिनेश पुत्र री राजपाल जाति चमार निवासी घीलोठ निवासी नीमराना

बनाम

राजपाल पुत्र श्री हरदयाल जाति चमार निवासी घीलोठ तह0 नीमराना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

मु0न0 146 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	14.05.25 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1424,1425, 1425/2278 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड. (राजस्थान) में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थीगण रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थीगण यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दि0 17.06.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

...अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

...मुकदमा .... नं0 .... सन् ....

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	नोट देखा। किया है। अतः प्रार्थी का प्र.पत्र 212 RTA नोट देख के आधार [illegible] किया जाता है पत्राव फैसला अनुसार चौक नम्बर के [illegible] संलग्न [illegible] करें। [signature] उप[illegible] अधिकारी [illegible] ([illegible])	